

25/11

| * तारीख | हुकम या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---------|--|--|
| 17/7/18 | <p>वकुलाय उपस्थित। उभयपक्ष ने जाहिर किया कि प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद दिनांक 08.06.2018 को निस्तारित हो चुका है। इस स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत यह अपील स्वतः प्रभावहीन होने के कारण खारिज की जाती है। इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली केम्प जालोर</p> | |